

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग-1
संख्या— /IX-1/23(2014)/2018
देहरादून: दिनांक ०२ जनवरी, 2018

- 1—प्रमुख सचिव / सचिव
गृह / लोक निर्माण / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / आबकारी / शिक्षा / शहरी विकास एवं वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन।
- 2—अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3—परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4—मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमौर मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 5—पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6—पुलिस महानिरीक्षक, गढवाल / कुमौर मण्डल जौन, उत्तराखण्ड।
- 7—सीमा सुरक्षा संगठन के अधिकारी।
- 8—रीजनल ऑफिसर एन०एच०ए०आई०।

विषय— राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की द्वितीय बैठक के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-125 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मा० परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जिसमें आपको सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

- 2— मा० परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में उक्त परिषद की बैठक दिनांक 12.01.2018 प्रातः 11.00 बजे विधान सभा में समिति कक्ष संख्या-120 में आहूत की गयी है।
- 3— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रस्तावित बैठक में निर्धारित तिथि / समय पर समस्त सुसंगत सूचनाओं एवं अपने बहुमूल्य सुझावों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या— /IX-1/23(2014)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1—निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत परिषद में मुख्य सचिव, महोदय सदस्य के रूप में नामित है। अतः उक्त प्रस्तावित बैठक में प्रतिभाग करने हेतु मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—वरिष्ठ निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 3—वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव/अपर सचिव, परिवहन विभाग उत्तराखण्ड शासन, को सचिव/अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 3—व्यवस्थाधिकारी, विधान सभा को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक हेतु कक्ष संख्या आवंटन करने का कष्ट करें।

आशापूर्वक,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।

02.01.2018

०१५ ४५९ ७३५१ ५१७६ हि ७५०५ ५६५ २०१८ 12.01.2018
३८८१८५ २१६७ ०१ ७७१५ — ८०५ ०२. २०१८ २०१८